भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 190*

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

190* थिरु दयानिधि मारन:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) के अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) के माध्यम से पंद्रह सौ करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आय का उपयोग किस प्रकार किए जाने की संभावना है;
(ग) क्या प्रस्तावित निवेश का कोई हिस्सा तमिलनाडु में उर्वरक उत्पादन, भंडारण, संभारतंत्र, अनुसंधान या वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने किसानों को वहनीय और समय पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अपने मुख्य अधिदेश पर नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और कृषि रसायनों के क्षेत्र में आरसीएफ के प्रस्तावित विस्तार के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे हैं; और
(ड.) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में उर्वरक आपूर्ति शृंखला की समुत्थानशीलता में सुधार लाने और उर्वरक उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए उर्वरक विनिर्माण, भंडारण या संभारतंत्र सुविधाओं की स्थापना/विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ड़.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' के संबंध में थिरु दयानिधि मारन द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.190* के उत्तर के भाग (क) से (ड़.) में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स (आरसीएफ) के निदेशक मंडल ने 7 जुलाई 2026 को आयोजित अपनी 500वीं बैठक में वर्तमान और भविष्य के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए एक अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) के माध्यम से 1500 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

प्रस्तावित एफपीओ के माध्यम से जुटाई गई पूंजी का उद्देश्य मौजूदा संयुक्त उद्यम-तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) में शेष इक्विटी निवेश को निधि जारी करना और भारत की उर्वरक सुरक्षा को सहायता देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करके रणनीतिक संयुक्त उद्यम निवेश प्राप्त करना है।

(घ): आरसीएफ की नवीकरणीय ऊर्जा और जल प्रबंधन पहल का उद्देश्य प्रचालन दक्षता, संधारणीयता और संसाधन अनुकूलन को बेहतर बनाना है, जबकि कृषि रसायन पहल का उद्देश्य उत्पाद बास्केट को व्यापक बनाना और एकीकृत फसल पोषण का समर्थन करना है। इन पहलों से उर्वरकों के उत्पादन या किसानों को की जाने वाली आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ड.): उर्वरक उत्पादन संयंत्रों की स्थापना या विस्तार संबंधी निर्णय क्षेत्रीय उर्वरक मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता, रसद और अन्य भौगोलिक लाभों जैसे कारकों पर उचित विचार करने के बाद लिए जाते हैं। देश भर में कुशल उर्वरक उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए इन आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

तमिलनाडु राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

I. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

II. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

III. यूरिया तथा अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। मौसम के लिए समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात को काफी पहले अंतिम रूप दे दिया जाता है।

IV. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

V. रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें होती हैं ताकि रेल मंत्रालय राज्यों को पर्याप्त रैक दे, उर्वरकों को प्राथमिकता दे और रैकों की समय पर निकासी करवाए।

VI. राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.2026 से 26.07.2026 तक) के दौरान तमिलनाडु राज्य सहित देश में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु सहित देश में उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और शेष स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.190* के उत्तर के भाग (ड.) से संबंधित है।

अखिल भारत					
चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.2026 से 26.07.26 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता					
					आंकड़े एलएमटी में
क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**26.07.26 तक अंतिम स्टॉक**
1	यूरिया	118.81	173.06	107.07	66.01
2	डीएपी	34.28	41.90	25.40	16.50
3	एमओपी	10.86	14.14	5.65	8.51
4	एनपीकेएस	52.34	87.57	43.09	44.48

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता **>** आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता **>** बिक्री

तमिलनाडु					
चल रहे खरीफ मौसम 2026 (01.04.2026 से 26.07.26 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता					
					आंकड़े एलएमटी में
क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**26.07.26 तक अंतिम स्टॉक**
1	यूरिया	2.72	4.66	3.01	1.65
2	डीएपी	0.80	1.10	0.59	0.51
3	एमओपी	0.61	0.72	0.41	0.31
4	एनपीकेएस	2.72	3.86	2.04	1.82
1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता **>** आवश्यकता 2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता **>** बिक्री					
